प्रत्येक सोमवार को हल्द्वानी से प्रकाशित

RNI No.- UTTHIN/2017/73662

कुमाऊं जनसन्देश

www.kumaonjansandesh.com

वर्ष – 7 | अंक – 13 | हल्द्वानी(नैनीताल) | सोमवार 24 फरवरी 2025 | पृष्ठ – 4 | मूल्य – 1

उत्तराखंड को कुशल एवं समृद्ध बनाने के लिए हो रहे व्यापक प्रयास : धामी

सीएम धामी ने 17 वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में छह प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित

कहा, विभिन्न योजनाओं, अभियान के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में हो रहा काम

पंतनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती शुक्रवार को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित इस 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने देश विदेश से पधारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलपति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के विभागाध्यक्षों, वैज्ञानिकों एवं देशभर से आए किसान भाइयों एवं बहनों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत व अभिनन्दन किया।

मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं कृषकों का उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के इस प्रतिष्ठित सम्मेलन को देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलनों के द्वारा जहां एक ओर किसान भाईयों को कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, शोध परिणामों एवं उत्तम बीज-खाद आदि के विषय में जानने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर लगे विभिन्न स्टश्वलों के माध्यम से उन्हें उद्यानिकी, पशुपालन एवं जैविक खेती जैसी कृषि की अन्य विधाओं के बारे में भी विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी मिलता है। उन्होंने कहा कि कृषि जगत के इतने महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए मैं, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड को कुशल एवं समृध बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार द्वारा जहां एक ओर देश में विभिन्न योजनाओं, अभियान के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय में बढ़ोत्तरी भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों की उत्थान एवं समृ) हेतु संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। श्री धामी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में किसानों को तीन लाख रुपए तक का ;ण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80 फीसदी दर की सब्सिडी दी जा रही है, इस सत्र के बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही चाय बागान धौला देवी, मुनस्यारी एवं बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप परिवर्तित किये जाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा की हमारी सरकार प्रदेश में खाद्यान खेती के साथ ही सगंध खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैली विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा की कई विभिन्न योजनाओं व नावाचारों एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड के किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा की मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस सत्र के बजट हमने किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए 463 करोड़ का रूपये का अलग से प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं का उत्थान सुनिश्चित करने कि दिशा में गोविन्द वल्लभ कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर लम्बे समय से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1960 से लेकर लगातार ये विश्वविद्यालय न केवल कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नए-नए शोध कार्य कर रहा है, बल्कि देश में प्रतिभावान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नई पौंध को भी विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसी क्रम में, यहां आयोजित हो रहा ये कृषि विज्ञान सम्मेलन उत्तराखंड के साथ-साथ पूरे देश के कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और अधिक समृध करने में सहायक सिध होगा। उन्होंने कहा कि मैं, इस सम्मेलन में आए हुए सभी किसान भाईयों एवं बहनों से ये आह्वान करता हूं कि आप लोग यहाँ लगाए गए विभिन्न स्टालों पर विज़िट करने के साथ-साथ इस सम्मेलन के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में नवाचार, डिजिटल कृषि, जलवायु परिवर्तन और स्मार्ट पशुधन पालन जैसे विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाली पैनल चर्चाओं एवं सेमिनारों में भी अवश्य प्रतिभाग करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस सम्मेलन से नई-नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के प्रति एक नया विजन लेकर वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 जनवरी 2025 को हमने प्रदेश में यूसीसी लागू किया जो आजादी के बाद देश का यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश है। इससे सभी को समान अधिकार मिल स कें गे । उन्हों ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन में रहने वालों को सुरक्षा मिलेगी व उनके अभिभावकों को व प्रशासन को भी जानकारी रहेगी। यूसीसी कानून से हिंसक वारदातों पर अंकुश लगेगा।

इस दौरान कुलपति डा. एम एस चौहान ने सम्मेलन में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सम्मेलन में 16 देशों के 90 वैज्ञानिक कुल लगभग 1600 वैज्ञानिक इस कृषि महाकुंभ में प्रतिभाग कर रहे है साथ ही 500 से अधिक प्रगतिशील —षक भी प्रतिभाग कर रहे है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग व प्रेरणा से इस कृषि सम्मेलन का आयोजन सम्भव हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के सफल नेतृत्व में प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय में 26प्रतिशत की वृ) हुई है तथा प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में भी 1.3 गुना बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने प्रदेश में यूसीसी लागू करने, प्रथम बार राष्ट्रीय खेल सफलतापूवक् क आयोजित करने व प्रथम बार कृषि विज्ञानं सम्मेलन आयोजित कराने व मिलेट्स को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रीष्मकालीन धान को हतोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छह प्रगतिशील किसानों को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

इस दौरान मेयर विकास शर्मा, गजराज बिष्ट, दर्जामंत्री अनिल कपूर डब्बू, आईजी डश्व योगेन्द्र सिंह रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकान्त मिश्रा, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, पंकज उपाध्याय, एमएनए नरेश दुर्गापाल, डश्व डब्लू एस लाखड़ा, निदेशक शोध डा. एएस नैन, प्रो. आरबी सिंह, पंजाब सिंह, पीएल गौतम, बीएस बिष्ट, डा. राम भजन सिंह, राजीव वार्ष्णेय, डा. राजवीर सिंह, डा. वीर सिंह, डा. धीर सिंह, डा. श्रीनिवास, डा. महावीर सिंह, डा. पीके जोशी, डा. एके सिंह, डा. दिनेश शाह, डा. प्रीतम कालिया, डा. विश्वनाथन, डा. एचपी सिंह, डा. राघवेन्द्र भट्टा, डा. जयचन्द राना, डा. तुषार कान्त मेहरा, डा. एसके प्रधाान, डा. ज्ञान प्रकाश मिश्रा, डा. नारायण लाल पंवार, डा.यशपाल सिंह मलिक, डा. रणजीत कुमार पाल उपस्थित थे।

सम्पादकीय...

करदाताओं का भरोसा बढ़ाने वाली पहल

बहुप्रतीक्षित नए आयकर बिल, 2025 में प्रत्यक्ष कर कानूनों को समेकित और तर्कसंगत बनाने के साथ-साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है। इस बिल में किसी अतिरिक्त कर की बात नहीं है, बल्कि मौजूदा कर कानूनों को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बिल न सिर्फ करदाताओं की जटिलता को कम करेगा, बल्कि नौकरशाही की अनावश्यक बाधाओं को भी दूर करने में मदद करेगा। नए आयकर बिल को आधुनिक और सरल बनाने के लिए डिजिटल बनाने की दिशा में भी पहल की गई है, जिससे स्वचालन, डाटा विश्लेषण और प्रशासन में सुधार होने के साथ-साथ कर दायरे के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। भारत में आयकर का भुगतान करने वाले मात्र 2.5 प्रतिशत लोग ही हैं, जो विकसित होती अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत कम हैं। 64 वर्ष पुराना 1961 का आयकर कानून अपने अनेक संशोधनों के साथ अत्यधिक जटिल हो गया था, जो बदलते भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। इसलिए वेतन-भत्ते, अनुमानित कराधान, कर भुगतान, कर कटौती, कर रिफंड आदि के प्रविधानों को आसान बनाने के लिए मौजूदा 52 अध्यायों के मुकाबले नए बिल में मात्र 23 अध्याय ही रखे गए हैं। कर प्रशासन की कुशलता बढ़ने से करदाताओं की संख्या और राजस्व में भी वृ) होगी। करदाताओं का भरोसा बढ़ने से कर विवाद और मुकदमेबाजी घटेगी। कर विवादों की संख्या में कमी आने से करदाताओं और न्यायपालिका पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। करदाताओं की किसी त्रुटि को सुधारने के लिए अतिरिक्त समय देते हुए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दिया गया है। इससे न सिर्फ कर अनुपालन आसान होगा, बल्कि सभी श्रेणी के करदाताओं के लिए निष्पक्ष कर संरचना भी सुनिश्चित होगी। सामान्यतरू करदाताओं को यह समझने में बहुत मुश्किल होती थी कि आयकर की गणना के लिए मूल्यांकन वर्ष का प्रयोग करें या फिर वित्तीय वर्ष का, लेकिन नए बिल में अब कर वर्ष की अवधारणा को अपनाया गया है, जो एक अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक होगा। इसके तहत किसी भी नए पेशे के लिए कर वर्ष की शुरुआत उसी वित्तीय वर्ष में मानी जाएगी। नए आयकर बिल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए एकसमान कर दरों का प्रस्ताव किया गया है। इससे न सिर्फ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, जो रोजगार सृजन में सहायक होगा। क्रिप्टोकरेंसी जैसी आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों को 'कैपिटल असेट्स' माना जाएगा और उन पर टैक्स लगेगा। पूंजीगत लाभ पर कर छूट एवं स्टार्टअप निवेश को अधिक आकर्षक बनाने के लिए न्यूनतम होल्डिंग अवधि में भी कमी करने के उपाय किए गए हैं। नए बिल में टैक्स चोरी रोकने के लिए पारदर्शिता बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसी तरह इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ डेट म्यूचुअल फंड भी शार्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के दायरे में लाया गया है। अभी स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। बदलाव के बाद 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। नए आयकर बिल में चौरिटेबल संस्थाओं की लंबी-चौड़ी परिभाषाओं को खत्म कर पेंशन, एनपीएस योगदान और बीमा पर करों में छूट जारी रखने का प्रस्ताव है। रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान को भी आयकर छूट के दायरे में रखने की बात की गई है। नए बिल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप, डिजिटल कारोबार और अक्षय ऊर्जा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नए प्रविधान किए गए हैं।

हालांकि पूंजीगत लाभ की दरों में किसी परिवर्तन की बात नहीं कही गई है। नए आयकर बिल में सरकार ने —षि से होने वाली आमदनी को कुछ शर्तों के साथ कर मुक्त रखने का प्रस्ताव किया है। दान में दी गई राशि पर भी छूट मिलनी जारी रहेगी। इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी टैक्स छूट देने की बात कही गई है। मौजूदा आयकर प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ई-केवाईसी और आनलाइन कर भुगतान को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। नए आयकर बिल की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि उसे कितने प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाता है। इस नई प्रणाली के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान देना होगा। नए कर ढांचे का समर्थन करने के लिए डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। नए प्रविधानों के व्यावहारिक कार्यान्वयन की चुनौतियों का त्वरित समाधान करना होगा, जिससे लोग इसका दुरुपयोग न कर सकें। आम बजट में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने से जहां मध्य वर्ग को राहत मिलेगी, वहीं नए आयकर बिल में पेपरवर्क कम होने से टैक्स फाइलिंग आसान होगी। नए आयकर कानून के अमल में आने के बाद उपभोक्ता के खर्च और बचत, दोनों को बढ़ावा मिलेगा। वास्तव में यह एक ऐतिहासिक सुधार है, जिसके द्वारा सरकार ने टैक्स प्रणाली को सरल, पारदशह्न और व्यवसाय अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। यदि यह सही तरीके से लागू होता है तो यह व्यापार जगत और करदाताओं के लिए फायदेमंद होने और 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी मददगार होगा।

एसीएस ने की यूसीसी पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा की

अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने ली वर्चुअल बैठक

बागेश्वर। समान नागरिक संहिता द्धयूसीसीऋ को प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सभी जिलाधिकारियों और नोडल अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें यूसीसी पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई।

बागेश्वर की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिले में यूसीसी पोर्टल और प्राप्त आवेदनों की वर्तमान स्थिति से अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिले में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि विभागों में कार्यरत कार्मिक जिनका विवाह निर्धारित तिथि के भीतर हुआ है उनका पंजीकरण यूसीसी के तहत कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे यूसीसी के महत्व को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएं। इस अभियान के तहत विभिन्न माध्यमों से जनता को यूसीसी के लाभों के बारे में जागरूक करें। जिससे समाज में समानता और न्याय की भावना को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि समान नागरिक संहिता राज्य में समानता और पारदर्शिता स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम महिलाओं और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में सहायक सि) होगा और राज्य को सामाजिक समरसता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बागेश्वर। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड-2024 यूसीसी के संबंध में जनपद स्तरीय व खण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ ही डिग्री कालेजों के प्राचार्य के साथ वर्चुअल बैठक की। मुख्य विकास अधिकारी ने समान नागरिक संहिता के संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे 27 अप्रैल 2010 के पश्चात् विवाह वाले स्वयं एवं अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिक व विभाग से जुडे श्रमिक, ठेकेदार व अन्य यूसीसी पोर्टल पर विवाह का पंजीकरण एक सप्ताह के भीतर व अधिकतम 15 दिन के भीतर करना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद अन्तर्गत सभी डिग्री कालेजों के प्राचार्य व बागेश्वर परिसर के निदेशक को निर्देश दिए कि वे समान नागरिक संहिता द्धयूसीसीऋ के तहत डिग्री कश्वलेजों में वृहद गोष्ठी को आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा गोष्ठी में सभी छात्रों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, आमजनमानस व अधिकारियों को प्रतिभाग कराने के निर्देश दिए। जनपद व खण्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभागान्तर्गत सभी पात्र कामिकों का रजिस्ट्रेशन कराते हुए जगह-जगह पर प्रचार-प्रसार के लिए गोष्ठियों का आयोजन कर इसका वृहद रूप से प्रचार-प्रसार भी एक पक्ष तक कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने गोष्ठी में सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, आमजनमानस व अधिकारियों को प्रतिभाग कराने को कहा। यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर प्रशिक्षण व वृहद प्रचार-प्रसार के लिए उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रभारी अधिकारी तथा जिला अभियोजन अधिकारी को सहायक अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। तीनों विकासखंड स्तर पर भी तीन प्रभारी अधिकारी नामित किये गये है।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ मार्च को

रुद्रपुर। आगामी 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जानकारी देते हुये सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा जनपद में 08 मार्च 2025 द्धद्वितीय शनिवारऋ को प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक रूद्रपुर सहित वाह्य स्थित दीवानी न्यायालयों काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज एवं किच्छा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर ने बताया कि 08 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन के वादों का निस्तारण किया जाएगा जैसे- भरण पोषण, धन वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, अपराधिक शमनीय व सिविल मामले इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद/अपराध, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, विद्युत व जल कर बिल संबंधित, वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर, भूमि अधिग्रहण, भुगतान व भत्तों से सम्बन्धित सर्विस के मामले, जिला न्यायालय में लंबित राजस्व वाद, मोटर वाहन अधिनियम के शमनीय अपराधों के चालान, सिविल मामले द्धकिरायेदारी, सुखाधिकार, व्यादेशऋ का निस्तारण किया जाएगा। उन्होने अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अपने वादों/मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करवाना चाहते हैं वे सम्बन्धित न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने वादों को नियत करवा सकते है या जिला न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर केन्द्र रूदुपर में स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

सम्पादक : विनोद चन्द्र पनेरू
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक विनोद चन्द्र पनेरू द्वारा भीड़ापानी-ओखलकांडा प्रिन्टिंग प्रेस(मोती सिंह), भोलानाथ गार्डन, हल्द्वानी(नैनीताल) से मुद्रित तथा हरिपुर लालमणि पो.ऑ- देवलचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखंड) से प्रकाशित। मो. 9410354318 Email:-vinodpaneru123@gmail.com

नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने के निर्देश

नशे के दुष्प्रभाव से युवाओं व उनके अभिभावकों को करें जागरूक :डीएम

रुद्रपुर। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति पर बेहद चिन्तित जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने नशीले पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगाने व नशे के दुष्प्रभाव से युवाओं व उनके अभिभावको को जागरूक करने के निर्देश दिये। जिलाधिकरी ने जिला सभागार में नशामुक्त देवभूमि मिशन के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक लेते जनपद के सभी विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों में ऐन्टी ड्रग्स कमेटी का गठन करने, जहां कमेटिया गठित है उन्हे सक्रिय करने के निर्देश शिक्षा अधिकारी को दिये। उन्होने कहा एन्ट्री ड्रग्स कमेटी में छात्र एवं शिक्षकों के साथ ही क्षेत्र के समाजसेवियों, अभिभावकों, को सम्मलित किया जाये। उन्होने कहा कि जनपद के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रार्थना के बाद एक से दो मिनट नशे से होने वाल दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया जाये। उन्होने कहा कि समाजसेवी/स्वयं सेवी सस्थाओं के सहयोग से नशे की रोकथाम हेतु कार्य करें। उन्होने कहा कि बच्चों को छात्र जीवन से ही नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करें ताकि वे नशे से दूर रहें, इसके लिए शिक्षा विभाग आवश्यक योजना बना कर कार्य करें। उन्होने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा स्वंयसेवी संस्थाओं एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों में बैनर, नुक्कड़ नाटक, काउंसलिंग, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जागरूक करने का कार्य किया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न माध्यमो से मेडिकल की दुकानो से नशीली प्रतिबन्धित दवाओं की विक्री की शिकायतें प्राप्त होती है। इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने वरिष्ठ ड्रग्स निरीक्षक को जनपद के सभी मेडिकल स्टोरो सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा ड्रग्स निरीक्षक जनपद की दवाईयों की दुकानों का जांच/निरीक्षण करे, जिन दवाई की दुकानो में सीसीटीवी कैमरे नही लगाये पाये जाते है अथवा संचालित नही पाये जाते है, उन मेडिकल स्टोरो का लाईसेंस रद्द करते हुए सीज करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होने कहा जो दवा दुकाने बिना लाईसेंस के अवैध संचालित हो रहे हो या बिना चिकित्सक के परामर्श के दवा देते है और प्रतिबन्धित दवाईयों को बेचने में लिप्त हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को नशा मुक्ति केन्द्र संचालित करने हेतु खाली पड़े सरकारी भवन अथवा स्कूल चिन्हित करने के निर्देश दिये। बैठक में सीडीओ मनीष कुमार, एसीएमओ डा. राजेश आर्या, ओसी गौरव पाण्डेय, जिला शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूध, जिला प्रोवेशन अधिकारी व्योमा जैन, वरिष्ठ ड्रग्स निरीक्षक नीरज कुमार आदि मौजूद थे।

गौसदनों में शरणागत गौवंश को मानकों के अनुसार ही रखें

डीएम ने ली निराश्रित गौवंश एवं स्वान पशु कल्याण कार्यों की समीक्षा बैठक

रुद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने निराश्रित गौवंश एवं स्वान पशु कल्याण कार्यों की समीक्षा बैठक लेते हुए पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त गौसदनों में शरणागत गौवंश को मानकों के अनुसार रखने के निर्देश दिये। साथ ही राजकीय भूमि पर प्रस्तावित गौशाला/शरणालयों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि सर्वे के अनुसार जनपद में 7400 निराश्रित गौवंश चिन्हित है। जनपद मे पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त 5 गौसदन संचालित है, जिसमे श्री राधे □ष्ण गौसदन ट्रस्ट बाजपुर में 1141, श्री गौलोक धाम कनकपुर में 163, श्री □ष्ण प्रणामी महराजा अग्रसेन गौशाला ट्रस्ट सितारगंज में 424, श्री नित्यानंद पाद आश्रम हल्दीघेरा खटीमा अन्तिरिम व्यवस्था में 299, श्री राधे □ष्ण गौसन ट्रस्ट गुलजारपुर बाजपुर में 181 गौवंश शरणागत है। उन्होने बताया कि 6 गौसदन निकायो के अन्तर्गत शासकीय भूमि पर प्रस्तावित है। जिनमे नगर निगम रूद्रपुर के लम्बाखेड़ा, काशीपुर में कचनाल गुसाई, नगर पंचायत महुआडाबरा में महुआडाबरा, नगर पालिका गदरपुर में बरीराई, जिला पंचायत के गुलजारपुर में, जिला पंचायत की भूमि हल्दीघेरा में प्रस्तावित है। जिनकी डीपीआर शासन को प्रेषित की गयी है। जिलाधिकारी ने नगर निकायों को गौशालाओं व पशु परिवहन हेतु लिफ्टिंग वाहन का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रख कर पास कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि कोई स्वंय सेवी संस्था स्वयं गौशाला संचालित करना चाहती है तो उन्हे पूर्ण सहयोग व सहायता प्रदान की जायेगी। उन्होने सभी निकाय अधिकारियों को स्वान पशुओं की संख्या को नियन्त्रित करने हेतु स्वान पशुओ का बधियाकरण हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि नगर निगम रूद्रपुर में स्वान पशुओं के बधियाकरण हेतु एबीसी सेंटर संचालित है जिसमे स्वान पशुओं का बधियाकरण किया जा रहा है। वही काशीपुर में एबीसी सेंटर निर्माणाधीन है उसमे भी शीघ्र स्वान पशुओं का बधियाकरण किया जायेगा। नगर आयुक्त रूद्रपुर ने बताया कि नगर निकाय रूद्रपुर में 7200 स्वान पशु चिन्हित है जिसमे से संचालित एबीसी सेंटर में स्वयं सेवी संस्था द्वारा बधियाकरण का कार्य किया जा रहा है अबतक 300 स्वान पशुओ का बधियाकरण किया जा चुका है। शेष स्वान पशुओं का बधियाकरण किया जा रहा है। जिसपर जिलाधिकारी ने शीघ्रता से स्वान पशुओं के बधियाकरण कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि नगर निगम रूद्रपुर के स्वान पशुओ का शीघ्रता से बधियाकरण कर नगर निगम रूद्रपुर के आस-पास के निकायों से भी अनुबन्ध कराकर स्वान पशुओ का बधियाकरण कराया जाये। उन्होने काशीपुर में शीघ्र एबीसी सेंटर संचालित कराने के निर्देश नगर आयुक्त को दिये।

उन्होने कहा कि काई भी स्वान पशु भूखा न रहे इसलिए सभी निकाय स्वान पशुओं के भोजन हेतु ऐसे स्थान चिन्हित करें जहां पर आबादी कम हो व गन्दगी भी न हो। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. आशुतोष जोशी सहित नगर आयुक्त, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नगर, सभी उपजिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।

एक मार्च से हल्द्वानी में लगेगा सरस मेला

भीमताल। विकास भवन भीमताल सभागार में बीती बुधवार को जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी की अध्यक्षता में सरस मेले के आयोजन के संबध में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मेले के आयोजन की विभिन्न तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में बताया कि आगामी 1 मार्च से 10 मार्च तक एमबीपीजी कश्वलेज हल्द्वानी में सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। जिसमें उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों के एसएचजी समूह प्रतिभाग कर अपने उत्पादों से संबंधित स्टाल आदि लगाएंगे। सरस मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में विभिन्न व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु कमेटी का गठन भी किया गया है। बैठक में एपीडी चंद्रा फर्त्याल ने बताया कि मेले में कुल 250 से अधिक स्टाल लगाए जाएंगे। जिसमें उत्तराखंड से 117 एनआरएलएम महिला समूह सहित 74 स्टश्वल अन्य राज्यों के लगाए जाएंगे। बैठक में सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जल्द एक स्वरूप में नजर आएंगे आंगनबाड़ी केन्द्र

रुद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जनपद के राजकीय विद्यालयों के परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में चाइल्ड फ्रेन्डली फनह्वचर एवं पेंटिंग आदि कराये जाने के सम्बन्ध में कैम्प कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। उन्होंने अधिशासी अधियंता ग्रामीण निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि राजकीय विद्यालयों के परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में चाइल्ड फ्रेन्डली फनह्वचर, बाला फीचर्स, पेंटिंग, आउट डोर प्ले मेटिरियल आदि कार्य कराये जाने है, इसके लिए ई-टेंडर करते हुए मार्च तक कार्य पूर्ण कराना सुनश्चित करें।कहा कि जो भी कार्य हो उसमे गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे। कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्य कराते समय इसका विशेष ध्यान रखे कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का लुक एक समान हो। बैठक में सीडीओ मनीष कुमार, मुख्य कोषाधिकारी डा. पंकज कुमार शुक्ल, डीडीओ सुशील मोहन डोभाल, सीईओ केएस रावत, डीईओ हरेन्द्र मिश्रा, ईई ग्रामीण निर्माण विभाग अमित भारतीय आदि मौजूद थे।

डीएम ने की आबकारी विभाग की समीक्षा

रुद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कैम्प कार्यालय में आबकारी विभाग के राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि जो भी बकायेदार है उनसे वसूली के लिए राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर वसूली कराये। उन्होंने कहा कि पूर्व में जिन मदिरा की दुकानदारों द्वारा फजह्व कागजात लगाकर दुकाने ली थी व दुकानों राजस्व नही दिया है, तो उनके विरूध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही किया जाये। उन्होंने कहा कि मदिरा की जिन दुकानदारों द्वारा राजस्व जमा नही किया जा रहा है उन मदिरा दुकानों का नवीनीकरण भी न किया जाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, अपर आयुक्त आबकारी डीएस गर्ब्याल, संयुक्त निदेशक आबकारी टीके पंत, ओसी गौरव पाण्डेय, जिला आबकारी अधिकारी एनआर जोशी आदि उपस्थित थे।

जमीन खरीदने से पहले करा लें तहकीकात : रावत

आयुक्त की जनसुनवाई में आई भूमि विवाद, पारिवारिक व लोन विवाद संबंधी शिकायतें

हल्द्वानी। कैम्प कार्यालय में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री, दीपक रावत ने जनसुनवाई कर मौके पर शिकायतों का समाधान किया। जन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद व अतिक्रमण, सड़क, लोन आदि से सम्बन्धित आई। जनसुनवाई में काशीपुर, सीतारामपुर लोगों ने बताया कि उन्होंने महेश शर्मा एवं बिल्डर्स से 220 लोगों ने वर्ष 2012 में प्लाट खरीदे। लेकिन भूमि सीलिंग की होने के कारण दाखिल खारिज नही हो पाया। आयुक्त ने उक्त भूमि की जांच हेतु जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को निर्देश दिये और कहा कि सीलिंग की भूमि बेचने पर जांच में तथ्य सही साबित होने पर सम्बन्धित के खिलाफ लैण्डफ्राड एक्ट में कानूनी कार्यवाही की जायेगी। आयुक्त ने कहा कि भूमि क्रय करने से पूर्व भूमि की सभी जानकारियां प्राप्त कर लें कि भूमि में किसी प्रकार का लोन व मुकदमा तो नहीं है तथा खतौनी के साथ ही स्थलीय निरीक्षण करें। मौके पर भूमि है या नही इसकी भी जांच राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षण आदि से अवश्य करा लें ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा। जनसुनवाई में हल्द्वानी निवासी जगमोहन ने बताया कि उनका होलसेल का टश्वफियों का कारोबार है हल्द्वानी निवासी मो0 दानियाल ने उनसे सामग्री समय-समय पर लेते रहे सामग्री की कुल राशि 7 लाख 42 हजार हो गई है, मो0 दानियाल द्वारा आज तक धनराशि वापस नही की है। जिस पर आयुक्त ने दानियाल को एक माह के भीतर धनराशि वापस करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा समय के भीतर धनराशि वापस नही करने पर कार्यवाही की जायेगी। विगत दिनों की जनसुनवाई में सेना के सिपाही सुन्दर सिंह ने बताया कि उन्होंने हल्द्वानी कठघरिया में 13 लाख में प्लाट क्रय किया था लेकिन भूस्वामी मनोज सिंह ने ना ही प्लाट दिया और ना ही धनराशि दी। आयुक्त ने जनसुनवाई में धनराशि वापस कराने के निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में सिपाही सुन्दर सिंह ने बताया कि उनको 4.5 लाख की धनराशि वापस कर दी है आयुक्त ने मनोज सिंह को शेष राशि वापस दिलाने के निर्देश दिये। जिस पर सिपाही सुन्दर सिंह ने धनराशि वापस दिलाने पर आयुक्त का आभार व्यक्त किया। जयनगर रूद्रपुर के 6 लोगों ने बताया कि उन्होंने कोलोनाइजर से भूमि क्रय की थी, जमीन की रजिस्ट्री हो गई है लेकिन दाखिल खारिज पारिवारिक विवाद के कारण नही हुआ है। जिस पर आयुक्त ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिये तथा आने वाली जनसुनवाई में सभी पक्षों को बुलाने के निर्देश दिये। आयुक्त द्वारा जनसुनवाई में अधिकांश समस्याओं का मौके पर निदान किया।

जन सुविधाओं को प्राथमिकता दें अधिकारी : भटगांई

डीएम ने किया काफलीगैर तहसील का निरीक्षण

बागेश्वर। जिला मजिस्ट्रेट आशीष भटगाई ने काफलीगैर तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उप-जिलाधिकारी मोनिका एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील परिसर, जन सेवा केंद्र, बैठक कक्ष, दैविक आपदा प्रबंधन कक्ष, रिकश्वर्ड कक्ष सहित अन्य स्थानों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने रिकश्वर्ड को व्यवस्थित ढंग से रखने और दैविक आपदा प्रबंधन कक्ष में उपकरणों के समुचित रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील भवन की दयनीय स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे जन सेवा में कोई बाधा न आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तहसील कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य जनता की सेवा करना है। इसके पश्चात उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्धआईटीआईऋ भवन का भी निरीक्षण किया, जिसकी स्थिति अत्यंत खराब पाई गई। वहां उन्होंने सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं से बातचीत की और उन्हें स्वरोजगार के विभिन्न अवसरों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनहित से जुड़ी सुविधाओं में सुधार करें और जन सेवा को प्राथमिकता दें।

किताबी शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा पर भी दें ध्यान

बागेश्वर। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने रा.उ.मा. विद्यालय बिलौना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय भवन के साथ ही बुनियादी सुविधाओं,मध्याह्न भोजन तथा शिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अलग-अलग कक्षाओं में जाकर बच्चों के साथ संवाद किया तथा विभिन्न विषयों की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया तथा अध्यापकों से शिक्षा के स्तर में और प्रभावी तरीके से सुधार लाने के निर्देश देते हुए किताबी ज्ञान के साथ-साथ नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय की कक्षाओं,शौचालयों एवं पेयजल सुविधाओं व मिड डे मील के बारे में जानकारी प्राप्त की।

डीएम ने विद्यालय में उपस्थित छोटे बच्चों से विशेष संवाद किया और उन्हें नैतिक शिक्षा के महत्व को समझाया। निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन की उपलब्धता एवं स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को निरन्तर प्रयासरत रहने के निर्देश दिए।

एआरटीओ कार्यालय की पत्रावलियों का करें डिजिटलीकरण

जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

बागेश्वर। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने एआरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परिवहन विभाग की आवश्यक सभी अभिलेखों,पत्रावलियों को शीघ्र डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने और जनता को प्रदान की जारी सुविधाओं को और प्रभावी तरीके से सुधारात्मक कदम उठाने के कड़े निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर सुविधा शुल्क मांगने या लापरवाही बरतने की शिकायत मिलती है,तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एआरटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनाने एवं वाहनों की फिटनेस आदि कराने आए हुए वाहन स्वामियों से जिलाधिकारी ने यहां तैनात कर्मचारियों का भी फीडबैक लिया। बीती बुधवार को जिलाधिकारी के एआरटीओ कार्यालय पहुंचते ही अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कम्प मच गया। डीएम ने एआरटीओ में रखे तमाम पत्रावलियों एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। लाइसेंस निर्गत करने एवं अन्य दी जाने वाली सुविधाओं व कार्यों को समयब)ता के साथ पूर्ण करने सख्त निर्देश दिए। कार्यालय में रिकार्ड रूम में फाइलों के साथ ही अन्य सामग्री का रख-रखाव उचित तरीके से न होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए फाइलों सहित अन्य सामाग्रियों को व्यवस्थित तरीके से रखने के निर्देश दिए। कार्यालय में लगे अग्निशमन उपकरण एक्सपायरी मिलने पर जिलाधिकारी ने एआरटीओ का कड़ी फटकार लगाते हुए उपकरणों को तत्काल बदलने के निर्देश दिए। निष्प्रयोज्य सामाग्रियों,पत्रावालियों का नियमानुसार विनिष्टिकरण करने को कहा। कार्यालय में मिली कमियों में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की भी सख्त हिदायत दी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गुड गवर्नेस के मश्वडल पर कार्य करते हुए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मूलमंत्र के साथ सुचारू कार्यप्रणाली और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। जनता को बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ समयब) तरीके से लाइसेंस और फिटनेस संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओवरलोडिंग, हाईस्पीड, नशे और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सुविधाओं के दृष्टिगत सरकार द्वारा आनलाइन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

गौलापुल से अमृतपुर तक दो लेन के निर्माण कार्य की कवायद तेज

हल्द्वानी। काठगोदाम, रानीबाग और गुलाबघाटी क्षेत्र में जाम की स्थिति को दूर करने हेतु काठगोदाम बायपास मार्ग गौलापुल से अमृतपुर तक दो लेन के निर्माण कार्य की कवायद तेज हो गई है। जनपद में रोड चौड़ीकरण सहित लोनिवि, एनएच और एनएचएआई के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जिलाधिकारी ने समीक्षा की। जिलाधिकारी वंदना ने शुक्रवार देर शाम कैंप कार्यालय में सड़क निर्माण से संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने गोलापुल काठगोदाम से अमृतपुर तक 3.5 किलोमीटर लंबाई के प्रस्तावित बाईपास सड़क निर्माण की प्रगति के संबंध में लोक निर्माण विभाग भवाली खंड के अधिशासी अभियंता से जानकारी लेते हुए उक्त सड़क मार्ग के शीघ्र निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तांतरण को प्राथमिकता से करते हुए उचित कार्यवाही के निर्देश देने के साथ ही कहा कि इस सड़क के निर्माण हेतु वन भूमि के प्रस्ताव में जो भी आपत्ति प्राप्त हुई है लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए आपत्तियों का शीघ्रता से निस्तारण करते हुए प्रस्ताव शासन को भेजें।